(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1058/94 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.9.94 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0 प्र0 प्रकरण कमांक 125/निगरानी/1992–1993.

मुस0 श्रीयाबाई पत्नी रामसिंह
निवासी रामगढ़ ग्राम तहसील
ईसागढ़ जिला गुना म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी
अनावेदक अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 -4 -2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 125/निगरानी/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30.9.1994 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम रामगढ़ में स्थित भूमि सर्वे कमांक 109 रकवा 24.081 है0 में से रकवा 1.500 है0 का व्यवस्थापन कराने बावत् निगरानीकर्ता द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर 10-12 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 83/अ-19/89-90 पर संस्थित किया जाकर आदेश दिनांक 03.12.1990 से म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम,1984 (जिसे आगे अधिनियम कहा जावेगा) के अंतर्गत निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि व्यवस्थापित की गयी। तहसील न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश दिनांक 03.12.1990 में की गयी अनियमितताओं के संबंध में परीक्षंण किये जाने पर गंभीर अनियमिततायें पायी जाने के कारण प्रकरण को स्वंयमेव निगरानी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 339/स्व. निगरानी/1991-92 पर दर्ज किया जाकर निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण में जबाव प्रस्तुत करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश को उचित बताते हुये प्रकरण निरस्त करने की याचना की गयी। अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिनांक 25.01.1993 को स्वंयमेव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश अपास्त किया गया। अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 125/निगरानी/92-93 पर दर्ज करते हुये विचाराधीन आदेश दिनांक 30.09. 1994 से निगरानी निरस्त की गयी। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये विन्दुओं पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

4– निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर को स्वंयमेव पुनरीक्षंण की कोई अधिकारिता नहीं है। इस संबंध में अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.94 में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "धारा 50 पुनरीक्षंण – मण्डल या आयुक्त या बन्दोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर, किसी भी समय, अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्यता के संबंध में या उसकी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी भी ऐसे मामले का, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित हो, या उसके द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे " चूँकि तहसीलदार नायब तहसीलदार की श्रेंणी में आते है और उनके द्वारा पारित तहसीलदार राजस्व अधिकारी की श्रेंणी में आते हैं और उनके द्वारा पारित आदेश राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश माना जावेगा। अतः निगरानीकर्ता अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अपर कलेक्टर को स्वंयमेव निगरानी का अधिकार नहीं है।

5– निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि निगरानीकर्ता भूमिहीन व्यक्ति है और उसे जो भूमि व्यवस्थापित की गयी है, उस पर उसका वर्षो से पूर्व का कब्जा रहा है। अभिलेख को देखने से यह प्रकट है कि निगरानीकर्ता भूमिहीन की श्रेंणी में नहीं आती है, क्यों कि उसके परिवार के पास 8.893 है0 भूमि है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भूमिहीन वही व्यक्ति कहलाता है जिसके स्वंय अथवा परिवार के पास कोई भूमि न हो। अतः यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। जहां तक कई वर्षो से कब्जा होने का प्रश्न है तो

इस संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा मात्र खसरा संवत् 2045 लगायत 2049 के खसरे की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें संवत् 2045 पर निगरानीकर्ता का कब्जा दर्ज है। मात्र एक वर्ष के कब्जे के आधार पर यह आशय नहीं निकाला जा सकता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्ता का कई वर्षो से कब्जा रहा है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के हक में व्यवस्थापन आदेश म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम,1984 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वही व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आता है जो कि 02 अक्टूबर,1984 के पूर्व से कब्जाधारी रहा हो। निगरानीकर्ता का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा मात्र संवत् 2045 केवल एक ही वर्ष का रहा है। इस प्रकार अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर एवं अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेत किये जाने का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 30.09.1994 यथावत् रहेगा तथा निगरानी निरस्त की जाती है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर